ओ३म् भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं।
भर्गो देवस्य धीमहि, धियो योनः प्रचोदयात्॥

# श्री दानकुँवरि इण्टर कॉलेज

आँवलखेड़ा (आगरा)

## विवरण पत्रिका

संस्थापक : वेदमूर्ति पं. श्रीराम शर्मा 'आचार्य'

# विद्यालय की गतिविधियाँ

# विद्यालय प्रार्थना

त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव,
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम् देव देव।

वह शक्ति हमें दो दयानिधे,
कर्त्तव्य मार्ग पर डट जावें।
पर-सेवा पर-उपकार में हम,
जग-जीवन सफल बना जावें॥

हम दीन-दुखी निबलों,
विकलों के सेवक बन संताप हरें।
जो है अटके भूले भटके,
उनको तारें खुद तर जावें॥
वह शक्ति हमें दो दयानिधे।

छल दम्भ द्वेष पाखण्ड झूठ,
अन्याय से निशि-दिन दूर रहें।
जीवन हो शुद्ध सरल अपना,
शुचि प्रेम सुधा-रस बरसावें॥
वह शक्ति हमें दो दयानिधे।

निज आन मान मर्यादा का,
प्रभु! ध्यान रहे अभिमान रहे
जिस देश जाति में जन्म लिया,
बलिदान उसी पर हो जावें॥
वह शक्ति हमें दो दयानिधे।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत॥

**ओउम् भूर्भवः स्वः, तत्ववितुर्वरेण्यं।**
**भर्गो देवस्य धीमहि, धियो योनः प्रचोदयात्॥**

# श्री दानकुँवरि इण्टर कॉलेज

## आँवलखेड़ा (आगरा)

समाज से अज्ञान एवं अन्धकार को मिटाने, प्रपीड़ित एवं भ्रमित मानवता को प्रश्रय एवं मार्गदर्शन का जीवन पर्यन्त वीणा उठाने वाले एक सच्चे देशभक्त, साहसी स्वतन्त्रता सेनानी, निष्ठावान पत्रकार, श्रेष्ठ लेखक, सफल सम्पादक, विद्यानुरागी, महान् समाज सुधारक, गायत्री मंत्र के सिद्धिसाधक और आधुनिक युग के ब्रह्मऋषि पं. श्रीराम शर्मा ने अपनी पूज्य जननी श्रीमती दानकुँवरि (ताई जी) की प्रेरणा से सन् 1963 में अपनी जन्म भूमि आँवलखेड़ा में अंकुरित होने हेतु उन्होंने अपनी पैतृक कृषि भूमि व दस सहस्त्र धनराशि प्रदान कर अनुग्रह करके विद्यालय की स्थापना की।

सर्वप्रथम खुले आकाश तले वृक्षों की छाया में उसी वर्ष जूनियर हाईस्कूल की कक्षाएँ प्रारम्भ की गईं विद्यालय के प्रारम्भ से ग्रामवासियों ने पूरी लगन एवं श्रम से स्वयं एवं क्षेत्रीय जनता से घर-घर जाकर सामर्थ्यानुसार धन संचय कर विद्यालय के विकास में योगदान देना शुरू कर दिया इस नवोदित विद्यालय रूपी पौधे को अपनी लगन एवं कर्त्तव्य निष्ठा से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से जीवन पर्यन्त सम्बर्द्धित करने वाले ग्रामीण शिक्षा व्रत के पुरोधा ग्राम आँवलखेड़ा की विभूति सेवा निवृत प्रधानाध्यापक पं. बैनीराम भटेला ने शिक्षा कार्य करने का भार अपनी देखरेख से अनुभवी कन्धे पर उठाया।

सन् 1963 में ही आश्विन शुक्ल पंचमी के दिन विद्यालय भवन की आधार शिला रखी गई तथा द्रुतगति से तीन अध्ययन कक्षों व वराण्डे का निर्माण हुआ। सन् 1964 में विद्यालय को जूनियर हाईस्कूल की मान्यता प्राप्त की गई कतिपय सरकारी सहायता से विद्यालय का कार्य चलने लगा तभी ग्राम उसमानपुर निवासी ताला भजन लाल जी ने एक कक्ष का निर्माण कराया।

समाज से एकत्रित धनराशि से दो अध्ययन कक्षों का और निर्माण किया गया। सन् 1966 उ. प्र. माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा हाईस्कूल (कलावर्ग) के शिक्षण की मान्यता प्राप्त हुई सन् 1970 में विद्यालय में ग्राम सभा आँवलखेड़ा से सवा पाँच एकड़ भूमि प्राप्त हुई। सन् 1984 में विद्यालय को हाईस्कूल कक्षाओं विज्ञान विषय अध्ययन की मान्यता मिली। परन्तु प्रयास तो विद्यालय को इण्टर बनाने का था। विद्यालय में भवन की कमी थी जिसको पूरा करने में आँवलखेड़ा में बौहरे सूरज पाल माहेश्वरी एवं पंडित विजयराम शर्मा (सेवा निवृत्ति प्रधानाचार्य) ने एक-एक अध्ययन कक्षा तथा नगला पचौरी से श्रीमती जावित्री देवी ने वराण्डा के निर्माण हेतु रु. 10,000 की धनराशि प्रदान की।

विद्यालय की इस श्रृंखला में राजकीय इण्टर कॉलेज से अवकाश प्राप्त गाँव आँवलखेड़ा के प्रथम पोस्ट ग्रेजुएट पं. विजय राम शर्मा जी ने विद्यालय को रु. 75,000 धनराशि भेंट कर अभूतपूर्व योगदान किया। इस धनराशि से 35' × 36' का विशाल सभागार निर्मित्त हुआ। सन् 1987 में विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ.प्र. से स्ववित्त पोषित इण्टरमीडिएट (कला वर्ग) की कक्षाओं में शिक्षण की मान्यता प्राप्त हुई।

सत्र 2011-12 में विद्यालय में विज्ञान वर्ग के शिक्षण की मान्यता प्राप्त हुई।

सत्र 2010-11 में विद्यालय में इण्टरमीडिएट कक्षाओं के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना का शुभारम्भ हुआ। सत्र 2010-11 में ही सभी कक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग द्वारा निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षण एवं लैब की व्यवस्था की गई है।

इस समय विद्यालय में 22 अध्ययन कक्ष, कार्यालय, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, सभागार, क्रीड़ा कक्ष एवं विशाल क्रीड़ांगन की व्यवस्था हैं। साथ ही बच्चों को पीने हेतु स्वच्छ जलापूर्ति सबमर्सिबिल पम्प, अध्ययन कक्षों मे स्थायी फर्नीचर, पंखे, विद्युत प्रकाश आदि की सुन्दर व्यवस्था है।

विद्यालय की प्रगति में क्षेत्रीय जनता एवं शिक्षाविदों का जो अनुकरणीय योगदान रहा है उसके लिए विद्यालय परिवार सदैव आभारी रहेगा तथा भविष्य में भी इसी प्रकार का सहयोग देते रहने की आकांक्षा करता है।

**संस्थापक : प. पू. वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पं. श्रीराम शर्मा आचार्य**

**प्रबन्धक : श्री अरविन्द माहेश्वरी**

**प्रधानाचार्य : डॉ. ममता शर्मा**

## शिक्षक मण्डल

| | | |
|---|---|---|
| डॉ. ममता शर्मा (प्रधानचार्या) | | एम.ए., बी.एड., पी-एच.डी. |
| श्री रोबिन सिंह (सहा. अध्यापक) | अंग्रेजी | बी.ए., बी.एड. |
| श्री राज कुमार (सहा. अध्यापक) | हिन्दी | एम.ए., बी.एड. |
| श्री प्रवीन कुमार शर्मा (सहा. अध्यापक) | गणित | एम.ए., बी.एड. |
| श्री राजकुमार चौरसिया (सहा. अध्यापक) | हिन्दी | एम.ए., बी.एड. |
| श्री शैलेन्द्र सिंह (सहा. अध्यापक) | विज्ञान | एम.एस-सी., बी.एड. |
| श्री जयप्रकाश (सहा. अध्यापक) | विज्ञान | एम.एस-सी., बी.एड. |
| श्री पुष्पेन्द्र सिंह (सहा. अध्यापक) | विज्ञान | एम.एस-सी., बी.एड. |
| श्री विनोद कुमार गुप्ता (सहा. अध्यापक) | सामा. विज्ञान | एम.ए., बी.एड. |

### लिपिक वर्ग

| | |
|---|---|
| श्री रामबाबू शर्मा (प्रधान लिपिक) | बी.ए. |

### कर्मचारी गण

श्री शिवकुमार (सफाई कर्मचारी)

श्री प्रमोद कुमार (परिचारक)

## कक्षा 6, 7, 8

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त विषय के शिक्षण का प्रबन्ध है।

## कक्षा 9 व 10

1. हिन्दी
2. अंग्रेजी
3. प्रारम्भिक गणि/गणित (में से एक)
4. विज्ञान
5. सामाजिक विज्ञान
6. संस्कृत
7. कृषि/वाणिज्य/कला (में से एक)

## कक्षा 11 व 12 (साहित्यिक वर्ग)

***अनिवार्य विषय*** –

साहित्यिक हिन्दी

***ऐच्छिक विषय*** –

निम्नांकित में से कोई चार विषय

1. नागरिक शास्त्र
2. शिक्षाशास्त्र
3. अर्थशास्त्र
4. भूगोल
5. अंग्रेजी

## (विज्ञान वर्ग)

***अनिवार्य विषय*** –

1. सामान्य हिन्दी
2. रसायन विज्ञान
3. भौतिक विज्ञान

***ऐच्छिक विषय*** –

1. अंग्रेजी
2. गणित
3. जीवविज्ञान
4. कम्प्यूटर

इण्टरमीडिएट के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.)

## प्रवेश सम्बन्धी नियम

1. विवरण पत्रिका में संलग्न आवेदन-पत्र विधिवत् पूर्ण कर विद्यालय में जमा करना होगा।
2. आवेदन-पत्र के साथ ही विगत विद्यालय की अंक तालिका की छाया प्रति या प्रमाणित तथा मूल स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
3. आवेदन-पत्र बिना आवश्यक प्रपत्रों के जमा करने पर रद्द कर दिया जाएगा।
4. आवेदन-पत्र वैध पाये जाने पर छात्र को स्वयं 'प्रवेश समिति' के समक्ष उपस्थित होना होगा। कक्षावार 'प्रवेश समिति' की सूचना विद्यालय 'सूचना-पट' या कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
5. छात्र का साक्षात्कार लेने के बाद 'प्रवेश समिति' प्रवेश लेने या रद्द करने, विषय निर्धारित करने या बदलने का निर्णय देकर अपनी संस्तुति प्रधानाचार्या के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
6. प्रधानाचार्या का प्रवेश सम्बन्धी निर्णय अन्तिम होगा।
7. प्रधानचार्या की प्रवेश हेतु सहमति मिलने पर तीन दिन के अन्दर सम्बन्धित कक्षाध्यापक पर समस्त शुल्क जमा करना आवश्यक है।
8. यदि कोई छात्र या अभिभावक वांछित सम्पूर्ण शुल्कों का भुगतान समय के अन्दर नहीं करता है तो उसका प्रवेश आदेश स्वत: ही रद्द कर दिया जाएगा।
9. कक्षा 9 व 11 उत्तीर्ण अन्य विद्यालय के छात्रों को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र करना होगा। अभाव में केवल अस्थायी (प्रोवीजनल) प्रवेश सम्भव है जो एक माह में प्रपत्र जमा न करने पर रद्द कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
10. केवल शिक्षा विभाग द्वारा मायन्ता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रदत्त स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र द्वारा ही प्रवेश दिया जाएगा जो मूल रूप में प्रवेश के समय ही जमा करना होगा।
11. प्रवेश फार्म के साथ आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।

### विद्यार्थियों की वेशभूषा :

समस्त विद्यार्थी विद्यालय में निर्धारित पोशाक (ड्रेस) ही पहनकर आयेंगे।

### छात्रों के लिए :

**ग्रीष्मकाल में :** आधी आस्तीन की सफेद रंग की शर्ट, कालीपेन्ट, सफेद मोजे, काले जूते, टाई, बैल्ट।

**शीतकाल में :** पूरी आस्तीन की सफेद रंग की शर्त, काली पेन्ट, सफेद मोजे, काले जूते। गहरा नीला स्वेटर या कोट।

### छात्राओं के लिए :

**ग्रीष्मकाल में :** कालर वाला काले और सफेद रंग का चैक का कुर्त्ता, सफेद सलवार, सफेद दुपट्टा, सफेद मोजे, काले जूते और बैज।

**शीतकाल में :** कालर वाला काले और सफेद रंग का चैक का कुर्त्ता, सफेद सलवार, सफेद दुपट्टा, सफेद मोजे, काले जूते और बैज। गहरा नीले रंग का स्वेटर या कोट

**विद्यालय का समय :**

**ग्रीष्मकाल में :** प्रात: 8.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक।

**शीतकाल में :** प्रात: 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक

## विद्यालय के अनुशासन सम्बन्धी नियम

1. प्रत्येक विद्यार्थी को निर्धारित पोशाक में विद्यालय आना होगा। बिना पोशाक के अनुशासन समिति/प्रधानाचार्य कक्षा में बैठने से रोक सकते हैं।
2. प्रत्येक छात्र विद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों व सहपाठियों से शालीनता का व्यवहार करेगा। उद्दण्डता करने वाले छात्र को दण्डित किया जाएगा।
3. विद्यालय प्रवेश द्वारा से ही प्रागंण में साइकिल पर चढ़कर चलना वर्जित है।
4. कोई भी छात्र विद्यालय के फर्नीचर, प्रयोगशाला के उपकरणों, बागबानी, भवन या अन्य सम्पत्ति को हानि नहीं पहुँचायेगा।
5. विद्यालय में धूम्रपान करना वर्जित है।
6. कोई भी छात्र विद्यालय की फील्ड क्रॉस नहीं करेगा। नियत रास्ते का ही प्रयोग करेगा
7. विद्यालय के छात्र/छात्राओं को विद्यालय की प्रात:कालीन प्रार्थना में समय से सम्मिलित होना अति आवश्यक है।
8. राष्ट्रीय दिवसों या अन्य अवसरों पर आयोजित विद्यालय के समारोह में उपस्थित होना छात्र/छात्राओं के लिए अनिवार्य है।
9. विद्यालय समय में कोई छात्र परिसर से बाहर घूमता नहीं मिलेगा। यदि पकड़ा गया तो उसे दण्डित किया जाएगा।
10. कोई भी छात्र विद्यालय परिसर से बाहर सड़क पर चल रहीं बसों एवं अन्य वाहनों को तोड़-फोड़कर नुकसान कदापि नहीं करेगा। न अन्य किसी छात्र की दंगा करने को भड़कायेगा।
11. कोई भी छात्र/छात्रा विद्यालय में मोबाइल फोन लेकर नहीं आएगा, यदि किसी छात्र/छात्रा के पास मोबाइल फोन पाया गया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।

## विद्यालय के नियम

1. विद्यालय में माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा मान्य पाठ्य-क्रमानुसार हिन्दी माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था हैं।
2. विद्यालय से बिना किसी जाति, बिरादरी, धर्म, वर्ग, भेद के प्रवेश दिया जाता है किसी भी प्रकार का भेदभाव वर्जित है।
3. विद्यालय सदैव छात्रों के शैक्षिणिक, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए तत्पर रहेगा ऐसा हमारा प्रयास हैं।
4. विद्यालय चहुँमुखी विकास के सुनियोजित प्रयास में क्षेत्रीय जनता, अभिभावकों, अध्यापकों व कर्मचारियों के सहयोग की अपेक्षा करता है।
5. प्रत्येक के लिए विद्यालय के नियमों का पालन करना आवश्यक है, अन्यथा उसे विद्यालय से निकाला जा सकता है, अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।
6. विद्यालय का शुल्क (फीस) जमा करने हेतु प्रत्यक माह की 15 तारीक्ष नियत है।
7. शुल्क दण्ड (फाइन) सहित माह की 20 व 25 तारीख तक ही जमा किया जा सकता है।
8. नियत अन्तिम दिन माह की 25 तारीख तक शुल्क अदा न करने पर छात्र को कक्षा में अध्ययन नहीं करने दिया जाएगा। विद्यालय में उसका नाम काट दिया जाएगा
9. सभी कक्षा अध्यापक छात्रों से शुल्क (फीस) प्राप्त होने की रसीद वितरण करेंगे तथा वसूली वाले दिन ही कार्यालय में धनराशि जमा करेंगे। अन्यथा पूर्ण उत्तरदायित्व उनका ही होगा।

10. एक बार नाम कटने पर नवीन आवदन-पत्र द्वारा ही पुन: प्रवेश दिया जाएगा।
11. समस्त अवशेष शुल्क व पुन: प्रवेश शुल्क अदा करने के पश्चात् प्रधानाचार्य की सहमति से ही पुन: प्रवेश सम्भव है।
12. इसी विद्यालय का कोई छात्र जुलाई माह में सत्र प्रारम्भ होने पर लगातार तीन दिन कक्षा में बिना किसी पूर्व अवकाश प्रार्थना-पत्र के अनुपस्थित रहता है तथा समय से शुल्क जमा नहीं करता तो विद्यालय से उसका नाम काट दिया जाएगा।
13. यदि छात्र लगातार दस दिन तक बिना अवकाश प्रार्थना-पत्र दिए अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम काट दिया जाएगा।
14. प्रधानाचार्य विद्यालय की अर्द्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित न होने वाले या अनुत्तीर्ण छात्रों को वार्षिक परीक्षा में प्रवेश से वंचित कर सकते हैं।
15. विद्यालय में शिक्षण के दौरान कोई भी अभिभावक बिना प्रधानाचार्य की अनुमति के छात्र से नहीं मिलेगा।
16. प्रधानाचार्य की लिखित अनुमति के बिना, विद्यालय समय में कोई भी छात्र या शिक्षक परिसर से बाहर नहीं जाएगा
17. **कोरोना गाइडलाइन** -

कोरोना के बचाव के लिए सभी छात्र-छात्राओं को मास्क पहनना एवं हैण्ड सेनेटाइजर लेकर आना अनिवार्य है। यदि किसी छात्र/छात्रा को बुखार, खाँसी, जुकाम की शिकायत हो तो विद्यालय न आयें। अवकाश का प्रार्थना-पत्र अभिभावक कक्षाध्यापक को जमा करा दें।

## विद्यालय की अन्य गतिविधियाँ

**अभिभावक-शिक्षक योजना :**

इसका उद्देश्य शिक्षक एवं विद्यार्थी के बीच समझ और पारस्परिक भावना पर आधारित निकट सम्पर्क स्थापित करना बनाए रखना है। प्रत्येक विद्यार्थी का एक शिक्षक (कक्षाध्यापक) अभिभावक शिक्षक के रूप में होगा। विद्यार्थियों तथा अभिभावक से अपनी शिक्षा सम्बन्धी तथा अन्य समस्याओं को अभिभावकों शिक्षक के सम्मुख रखने की अपेक्षा की जाती है जो उन्हें आवश्यक निर्देश तथा मार्गदर्शन देंगे। यह आशा की जाती है कि योजना के कार्यान्वयन में विद्यार्थियों के अभिभावकों का पूर्णतया सहयोग प्राप्त होगा

**नवीन विद्यार्थियों के लिए अनुकूल कार्यक्रम :**

सभी नवीन विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं को विद्यालय के नियमों, उद्देश्यों तथा परम्पराओं से स्वयं को अच्छी तरह से अवगत हो। उन्हें विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों, अवसरों तथा उत्तरदायित्वों से भी परिचित होना चाहिए। इसके लिए उन्हें इस विवरण पत्रिका का भलीभाँति अध्ययन करने का परामर्श दिया जाता है इस सम्बन्ध में कक्षाध्यापक (अभिभावक शिक्षक) से भी मदद लेने की अपेक्षा की जाती है।

**छात्रवृत्ति :**

अनूसचित एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति एवं पुस्तकीय सहायता प्रदान की जाती है।

**सांस्कृतिक कार्यक्रम :**

राष्ट्रीय पव 15 अगस्त एवं 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 14 नवम्बर को प्रतिवर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसके अन्तर्गत छात्र भाषण, कविता, गीता, नाटक आदि से सक्रिय भाग लेकर प्रोत्साहन प्रदर्शित करते हैं। बसन्त पंचमी पर एक विशेष समारोह आयोजित किया जाता है जिसमें छात्र गायत्री चालीसा एवं गायत्री मंत्र का पाठ, यज्ञ आदि में भाग लेते हैं। इसमें छात्रों को अवगुणों को छोड़ने एवं गुणो को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करायी जाती है।

**पारितोषिक वितरण :**

जो छात्र विद्यालयी प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विद्यालय खेलकूद, विद्यालय के पठन-पाठन में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं उनको पारितोषिक प्रदान करके प्रोत्साहित किया जाता है। इसके साथ ही उसे योग्यता का प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

**नवाचार :**

1. विद्यालय में गत वर्ष से ऑनलाइन शिक्षण व्हाट्स एप ग्रुप, वीडियो लैक्चर, जूम और यू-ट्यूब द्वारा कराया जा रहा है।

2. विद्यालय संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा जी की प्रेरणा से विद्यालय के छात्र-छात्राओं के माध्यम से बाल संस्कार संचालित किया जा रहा है। छात्र अपने घर के आस-पास अन्य स्कूली बच्चों को व्यवहारिक संस्कारों की शिक्षा प्रदान कर रहे है।

**परिचय-पत्र :**

प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र को परिचय-पत्र दिया जाता है जिसे दिखाकर छात्र विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेता है तथा विद्यालय प्रदत्त सुविधाओं को प्राप्त करता है।

**पुस्तकालय :**

योग्यता एवं श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए विद्यालय में एक पुस्तकालय हैं पुस्तकालय में बैठकर छात्रों के पढ़ाने की पूर्ण सुविधा है। इसके अतिरिक्त घर पढ़ने के लिए भी छात्रों को पुस्तकें दी जाती हैं। समाचार पढ़ने के लिए प्रतिदिन विद्यालय में हिन्दी समाचार-पत्र मंगाये जाते हैं।

**खेलकूद एवं अन्य गतिविधियाँ :**

1. **राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) :** छात्र/छात्राओं के सामाजिक एवं समाज सेवा के भाव को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना **(NSS)** की इकाई भी गठित की गयी है, जिसमें कक्षा 11 के इच्छुक छात्र/छात्राओं को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

2. **खेलकूद गतिविधियाँ :** विद्यालय में बॉलीबाल, क्रिकेट, हॉकी, खो-खो आदि खेल खेलने के लिए व्यवस्था है। विशेष अवसरों पर लम्बीकूद, ऊँची कूद, कबड्डी, कुश्ती आदि की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। विद्यालय के छात्र/छात्राओं द्वारा गत वर्षों में जनपद स्तर, मण्डल स्तर एवं राज्य स्तर पर उच्च कोटि का प्रदर्शन किया गया है।

3. **स्काउट गाइड :** कक्षा 6 से 12 तक के छात्र/छात्राओं के लिए स्काउट/गाइड लेने की सुविधा है, जिसके माध्यम से छात्र/छात्राएँ जिम्मेदार नागरिक बन सकें, उनके मन में समाज-सेवा एवं देश प्रेम की भावना जागृत हो सके।

# विद्यालय की गतिविधियाँ

# राष्ट्रगान

श्री रविन्द्रनाथ टैगोर
राष्ट्रगान के रचयिता

जन-गण-मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब, सिन्ध, गुजरात, मराठा,
द्राविण उत्कल बंग।
विन्ध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा,
उच्छल जलधि तरंग।
तब शुभ नामे जागे,
तब शुभ आशिष माँगे।
गाये तब जय गाथा।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत -भाग्य -विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे
जय, जय, जय, जय हे।

PRINCE PAL